जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-24.07.2025**

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चाकू बरामदः-

आज दिनांक 24.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से अवैध चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अंकित पुत्र कुछछन निवासी ग्राम हथछौया थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध चाकू बरामद।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी मोटर साईकिल बरामदः-

ज्ञात हो दिनाँक 18.07.2025 को वादी रिहान पुत्र नसीम निवासी मौहल्ला गुजरान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली की मोटर साईकिल रजि0नं0 UP19N9422 को मील रोड़ शामली से अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गयी थी। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 24.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर को चोरी की गयी मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.सौरभ उर्फ आदित्य पुत्र सूरज निवासी ग्राम लिलौन थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी की गयी मोटर साईकिल हीरो स्प्लेण्डर रजि0नं0 UP19N9422।

थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया मोबाईल, नगदी व अवैध छूरा बरामदः-

ज्ञात हो दिनाँक 15.07.2025 की रात्रि में थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत भैरव मन्दिर के दान पात्र से नगदी चोरी कर ली गयी थी तथा दिनाँक 23.07.2025 को सलीम अहमद पुत्र मिद्दा निवासी मौहल्ला रायजादगान थाना कांधला जनपद शामली की दुकान से अज्ञात चोर द्वारा मोबाईल चोरी कर लिया गया था। घटनाओं के सम्बन्ध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 24.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग व चोरों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 चोर को चोरी किये गये मोबाईल, नगदी व अवैध छूरा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.रामकुमार उर्फ राजकुमार पुत्र कृष्णपाल निवासी मौहल्ला डंगडूंगरा थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी किया गया मोबाईल (लावा कम्पनी)।

2.चोरी की गयी नगदी (400/- रुपये)।

3.एक अवैध छूरा।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 82 ग्राम चरस बरामदः-

दिनांक 23.07.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर को अवैध 82 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.जनेश्वर उर्फ टेन्टी पुत्र ब्रह्मपाल निवासी ग्राम जमालपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 82 ग्राम चरस।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में धमकी देने के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 2010 में अभियुक्त नरेन्द्र कुमार पुत्र रणजीत निवासी रामसागर गली नं0-2 थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 380/2010 धारा 506 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 24.07.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI